

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969) (ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु दसवीं एवं बारहवीं के एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन ऑनलाईन करने की तिथियों बारे ।

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों की शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए एनरोलमैंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन-लाईन दर्ज की जानी हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/- रूपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200/- रूपये प्रति विद्यार्थी है। एनरोलमैंट शुल्क कक्षा दसवीं के लिए ICICI एवं बारहवीं के लिए IDBI बैंक द्वारा गेटवे पेमैंट के माध्यम से लिया जाना है। छात्रों के फोटो स्कूल ड्रैस में होने चाहिए। एनरोलमैंट रिटर्न ऑन लाईन तिथियां निम्न प्रकार से हैं:-

दसवीं एवं बारहवीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न आवेदन करने की तिथियाँ

कक्षा	बिना	100 / — रू0	200 / — रू0	300 ∕ − रू0	1000 ∕ —रू0
	विलम्ब	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
	शुल्क	सहित	सहित	सहित	सहित
<u>दसवीं</u>	02.11.2020	17.11.2020	24.11.2020	01.12.2020	08.12.2020
<u>एवं</u>	से	से	से	से	से
बारहवीं	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020

अतः समी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमैंट रिटर्न के आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (ऑन-लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें । कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664-254603 तथा मो0 नं0 7206497088 या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैल्पलाईन ई-मेल <u>bsehenrollment.in@gmail.com</u> एवं <u>asenr@bseh.org.in</u> पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा—निर्देश एवं एनरोलमैंट रिटर्न बारे लिंक www.bsehenrollment.in बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं ।

सहायक सचिव (एनरोलमैंट) कृते : सचिव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

क्रमांक 1118 / एनरोलमैंट

दिनांक : 30.10.2020

विषय : <u>शैक्षिक सत्र 2020–21 कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के एनरोलमैंट के लिए शैड्यूल</u> बनाने, ऑनलाईन एप्लीकेशन लाईव करने एवं महत्वपूर्ण सूचना जारी करने बारे।

एनरोलमैंट से सम्बन्धित शुल्क दसवीं कक्षा हेतु ICICI बैंक द्वारा एवं बारहवीं कक्षा हेतु IDBI बैंक द्वारा ऑनलाईन गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा होगा। शैड्यूल कोविड–19 के दृष्टिगत् समय अभाव के मध्यनजर तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

दसवीं एवं बारहवीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न भरने की तिथियां

कक्षा	बिना	100/— रू0	200 / – रू0	300 ∕ − रू0	1000 / —रू0
	विलम्ब	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
	शुल्क	सहित	सहित	सहित	सहित
<u>दसवीं</u>	02.11.2020	17.11.2020	24.11.2020	01.12.2020	08.12.2020
<u>एवं</u>	से	से	से	से	से
बारहवीं	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020

हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाएंगें कि एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे ।

- सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के ''एनरोलमेंट रिटर्न'' के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन—लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय का पासवर्ड जो पहले ही निर्धारित है।
- इस समय कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के उन्हीं विद्यार्थियों के एनरोलमैंट आवेदन किए जाने है, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए प्रवेश दिया गया है।
- 3. छात्रों के फोटो स्कूल ड्रैस में होने चाहिए। एनरोलमैंट के विवरणों में त्रुटि शुद्धि कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के आवेदन फार्म के डाटा/चैकलिस्ट में की जा सकती है।

जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है उनके एनरोलमेंट आवेदन फार्म दोबारा मेजने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरांत उनमें किसी प्रकार की त्रुटि का विद्यालय द्वारा समय पर समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसी त्रुटि में संशोधन के लिए बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड Withdrawal Register, Attendance Register, S.L.C./ Previous year Result व Admission Form के साथ-साथ इन सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करके ऑफ-लाईन से संशोधन करवाना होगा और प्रति त्रुटि निर्धारित शुल्क 300/-रू0 अदा करना होगा।

6. बोर्ड की वैबसाईट के एनरोलमेंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय उक्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :--

CERTIFICATES:-

4.

5.

- The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal Register/Original Certificates. The admission of all students has been made in time.
- 2. The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board.
- It has been checked that the students admitted have not been disqualified by any Board/University of India.
- 4. All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to Board's rules.

- a. The name's of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left over.
- 5. We have gone through the Rules/Regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these Rules/Regulations. If any mistake is found the School will be responsible.
- 6. It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution will be responsible.
- 7. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि संस्था द्वारा किसी छात्र को एनरोलमैन्ट के नियम / विनियमों के विपरीत तरीके से पवेश गलत दिया गया (जैसे एस0एल0सी0/टी0सी0 बोगस पाए जाते है) है तो उस छात्र की पात्रता रदद कर दी जाएगी तथा छात्र सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाही करने हेतु केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और यदि छात्र अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर सम्बद्धता नियम 10 के अंतर्गत एक लाख रू० (100000/-रू०) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू० (300000/-रू०) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रदद कर दी जायेगी।
- 8. जिन संस्थाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमेंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में छात्रों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
 - एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिमावक को न भेजा जाए।
 - 10. एनरोलमैन्ट रिटर्न पर विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो ''विद्यालय वर्दी'' मे तथा उस पर तिथि अंकित होनी चाहिए।

शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है।

- 12. छात्र के पिता का आधार नम्बर भी भरें । यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें । <u>अन्य राज्य से आने वाले छात्रों की</u> <u>SLC/TC आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमैंट Online Portal</u> <u>पर Upload करना अनिवार्य होगा । SLC/TC अपलोड नहीं किये जाने</u> <u>पर एनरोलमैंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार</u> होगा ।
- 13. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमैन्ट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन—लाईन भेजे। इसके पश्चात आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का आवेदन—पत्र ऑफ—लाईन स्वीकार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर (Admission Withdrawl Register) में अंतिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।

किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664—254603 तथा मोo नंo 7206497088 या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664—244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैल्पलाईन ई—मेल <u>bsehenrollment.in@gmail.com</u> एवं <u>asenr@bseh.org.in</u> पर ई—मेल मेजी जा सकती हैं।

इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा—निर्देश एवं एनरोलमैंट रिटर्न बारे लिंक www.bsehenrollment.in बोर्ड की वैबसाईट <u>www.bseh.org.in</u> पर उपलब्ध हैं ।

> सहायक सचिव(एनरोलमैंट/सम्बद्धता) कृते : सचिव

'11.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :	सेवा में,
सचिव,	समी प्राचार्य/संस्था मुखियाओं को।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,	
भिवानी ।	

विषयः— वर्ष सत्र 2020—21 के एनरोलमैंट की तिथियों बारे सूचना। महोदय,

परीक्षा एक समयबद्ध प्रक्रिया है। विद्यालयों द्वारा दी गई छात्रों की सूचि के दृष्टिगत् परीक्षा की मुख्य तैयारी की जा सकती है। इस बार कोविड—19 की समस्या के दृष्टिगत् हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एनरोलमैंट शैड्यूल दिनांक 02.11.2020 से निर्धारित किया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य के परीक्षार्थियों के लिए 150/—रूपये एवं अन्य राज्य के परीक्षार्थियों के लिए 200/—रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। शैड्यूल निम्न प्रकार से है :—

কধ্যা	बिना	100/— रू0	200 / — रू0	300 ∕ − रू0	1000 / – रू0
	विलम्ब	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
	शुल्क	सहित	सहित	सहित	सहित
<u>दसवीं</u>	02.11.2020	17.11.2020	24.11.2020	01.12.2020	08.12.2020
<u>एवं</u>	से	से	से	से	से
बारहवीं	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	14.12.2020

प्रधानाचार्य/संस्था मुखियाओं से अनुरोध है कि एनरोलमैंट प्रक्रिया दी गई समयावधि में पूर्ण करने का कष्ट करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। इस उपरान्त एनरोलमैंट तिथियाँ नहीं बढ़ाई जाएगी।

> भवदीय उप सचिव(एनरोलमैंट/सम्बद्धता)

कृते : सचिव